न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 51/2025 बउनवानी राजेन्द्र सिंह तोमर बनाम तहसीलदार सवाईमाधोपुर
एडवोकेट, दिल्ली हाईकोर्ट नि0 आई–26/1 गली नम्बर 10, ब्रहमपुरी दिल्ली 110053

GCMS No-2025/ 157

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
9.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 3.2.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *" ग्राम पचीपल्या पंचायत मथुरापुर आंटून के रास्ते मे लटिया नाले के पर पशु चिकित्सालय के पास स्थित भाया जी फार्म हाउस की भूमि से संबंधित रिकार्ड सहित कुल 4 बिन्दुओ की सूचना "* तहसीलदार सवाई माधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओंर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/2025/83 दिनांक 18.6.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 3.2.2025 मे चाही गयी सूचना के बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ/आरटीआई/2025/56 दिनांक 1.5.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 3 लगायत 8 के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अगवत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 3.2.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दु की सूचना तहसील कार्यालय से संबंधित नही होने के संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। किन्तु यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा शेष बिन्दु संख्या 3 लगायत 8 की सूचना का संबंध ग्राम पंचायत/नगर विकास न्यास से होना बताया गया है किन्तु अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित नही किया है जो अधिनियम के प्रावधानो की अवहेलना की श्रेणी मे आता है। अतः तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया ज़ाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों से संबंधित सूचनाऐ आपके कार्यालय से संबंधित नही हो तो अधिनियम की धारा 6(3) के तहत नियत समयावधि मे संबधित को लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जाना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। [illegible] सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.08.29 17:12:41 IST Reason: SelfAttested (कान्हा राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner